कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग,कोटद्वार।

Tel/Fax No. 01382.228467 E.mail.dfo_lansdowne@yahoo.com

पत्रांकः- 3200 /12-1 , दिनांक, कोटद्वार, 04 , 03/ 2024

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड, कोटद्वार(गढ़वाल)।

विषयः- जनपद पौडी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.252 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के संम्बन्ध में।
ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 :– FP/UK/ROAD/145560/2021

संदर्भः- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक संख्या- 8बी0/यू0सी0पी0/06/63/2022/एफ0सी0/ दिनांकः 19.02.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.252 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या-8बी0/यू0सी0पी0/06/64/2022/एफ0सी0 दिनांक 19.02.2024 से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना हैः-

(1). शर्त संख्या 01 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 504 पौधों का रोपण एवं दस वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 0.504 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुसार निर्धारित दर रूपये 448791.00/प्रति हे0 की दर से 0.504 X448791= 226190.664 रूपये की धनराशि जमा की जानी है।

(2). शर्त संख्या 2(क) के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 0.252 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये भारत सरकार की पत्र संख्या 5.3/2011-एफ0सी0 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार एन0पी0वी0 (1292850.00/हे0) 1292850 X 0.252 = 3,25,798.2 रूपये की धनराशि जमा की जानी है।

(2). शर्त संख्या 2(ख) यदि शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय का वचनबद्वता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जाना है।

(3). शर्त संख्या 11 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त समस्त प्राप्त धन केवल ई-पोर्टलम (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरितध्/जमा किए जाएंगे।

अतः उक्त के अतिरिक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तो के प्रत्येक बिन्दु पर सम्बन्धित अनुपालन आख्या मय सत्यापित पृथक-पृथक प्रमाण पत्र/ वचनबद्वता प्रमाण पत्रों सहित परिवेश पोर्टल पर भी यथास्थान ऑनलाईन अपलोड कर ऑफलाईन (तीन प्रतियों में) प्रभागीय कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी अवगत कराना है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तो के पूर्ण अनुपालन से पूर्व कोई भी निर्माण कार्य आरम्भ न किया जायें।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र पन्त)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांक- / दिनांकित।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(नवीन चन्द्र पन्त)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।